यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर के अवधि 06/2012 से 01/2019 तक के लेखा-अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री राजा रंजन राव, श्री अजय त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री गौरव पंत वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.02.2019 से 02.03.2019 तक श्री टी. एस. नेगी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर का भौगलिक अधिकार क्षेत्र विकास खण्ड-बागेश्वर मे संचालित प्रारम्भिक /उच्च प्रारम्भिक विद्यालयों मे शिक्षा संबंधी कार्यों का समन्वय एवं क्रियाव्यन तथा कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर, के कार्यालय का संचालन-व्यय किया जाता है तथा प्रारम्भिक /उच्च प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन-भत्तो का भुगतान संबंधी कार्य किया जाता है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का विकास खण्ड- बागेश्वर (जनपद बागेश्वर) का समस्त क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत/ समर्पण (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	2717.20	2712.13	12.31	12.31	-	5.07
2016-17	-	-	2714.88	2711.31	6.65	6.61	-	3.61
2017-18	-	-	2910.91	2910.51	10.12	10.12	-	0.40
2018-19 (माह 01/2019 तक)	-	-	3244.83	2429.32	12.73	1.90	-	-

(ब) केन्द्र/राज्य पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)
2015-16	शिक्षा मित्रो का वेतन	-	9.36	9.36	-	-
2016-17		-	1.56	1.56	-	-
2017-18		-	2.22	2.22	-	-
2018-19 (माह 01/2019 तक)		-	5.40	5.40	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर का कार्यालय व्यय-वेतन एवं भत्तों तथा प्रारम्भिक /उच्च प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन-भत्तो तथा शिक्षा मित्रो का वेतन का भुगतान किया जाता है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

महानिदेशक , विद्यालयी शिक्षा

↓

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

↓

अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)

↓

उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.)

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016, 03/2013, 03/2018 & 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर:1- मॉडल स्कूल द्वारा विभिन्न मदों मे ₹ 11.09 लाख की धनराशि के व्यय के सापेक्ष इकाई द्वारा suppliers को भुगतान की गयी धनराशि ₹ 19,69,94.19 के बिलो मे 2% TDS कटौती ₹3940.00 न करना एवं वित्तीय नियमावली एवं प्रॉक्यूरमेंट नियमावली -2008 का अनुपालन न करना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 के भाग-एक के परिशिष्ट -25 में स्पष्ट प्राविधान है कि यदि भुगतान किसी आपूर्तिकर्ता (suppliers)को किया जाता है तो निर्धारित दर पर उनके बिल के भुगतान के सापेक्ष 2% TDS कटौती अनिवार्य हें एवं As per provisions of section 194 c of
Income tax act-1961 2% TAX shall be deducted at source on the sum paid or credit for carrying out work, when the bill amount exceeds र 30000.00 के तहत suppliers को उनके बिल के भुगतान के सापेक्ष 2% TDS कटौती अनिवार्य है परंतु इकाई द्वारा निम्न suppliers के बिल भुगतान के सापेक्ष 2% TDS कटौती नहीं की गयी थी।

Invoice no/date	**वर्ष**	**Name ऑफ मद/supplier**	**Amount**	**स्कूल का नाम**
18/03/12/000045	18-2017	कम्प्यूटर हार्दिक इंटरनेशल	44067.83	रा. प्रा. वि. बागेश्वर
17/02/12/93	17-2016	देव फर्नीचर उद्योग	87718.86	रा. प्रा. वि. बागेश्वर
17/02/12/94	17-2016	देव फर्नीचर उद्योग	65207.70	रा.प्रा. वि. bhatrula
योग			196994.19	

कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद बागेश्वर की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया है कि इकाई द्वारा वर्ष -2015-16 से 2017-18 तक तीन मॉडल स्कूल को जारी धनराशि र 11.09 लाख के सापेक्ष फर्नीचर एवं कम्प्यूटर मद ,साउंड सिस्टम मद ,सौन्दर्यीकरण मद आदि मे निम्न बिन्दुओ पर वित्तीय नियमावली एवं प्रॉक्यूरमेंट नियमावली -2008 का अनुपालन नहीं किया गया।

1 मॉडल स्कूल द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक स्कूल के संचालन हेतु क्रय computers,व उपकरण कितने निष्क्रिय है एवं कितने चालू अवस्था मे इसका कोई ब्यौरा मॉडल स्कूल के पास नहीं था।

2 मॉडल स्कूल द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक स्कूल के संचालन हेतु क्रय computers, व उपकरण क्रय समिति द्वारा कितने computers को condemn घोषित करके संप्रेक्षा अवधि (01/19) तक नीलाम किया था , उक्त से संबन्धित कोई ब्यौरा मॉडल स्कूल के पास उपलब्ध नहीं था।

3 मॉडल स्कूल द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक स्कूल के संचालन हेतु क्रय computers,व उपकरण व उक्त बिलो के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता(suppliers) को भुगतान बिलो पर paid &cancel

लिखा नहीं पाया गया एवं ₹ 5000.00 की अधिक की धनराशि के बिलो के भुगतान के सापेक्ष मॉडल स्कूल द्वारा suppliers से प्राप्त भुगतान रशीद पर 01 rupee का revenue टिकिट पर suppliers के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए गए थे ।

4 मॉडल स्कूल द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक आपूर्तिकर्ता (suppliers) को भुगतान बिलो पर बिलो मे वैट /जीएसटी की धनराशि जोड़ी नहीं पायी गयी थी ।

5 मॉडल स्कूल द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक आपूर्तिकर्ता (suppliers) से सामग्री क्रय से पूर्व स्कूल के DDO द्वारा पूर्व मे स्वीकृति प्राप्त नहीं करना पाया गया ।

6 मॉडल स्कूल द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक आपूर्तिकर्ता(suppliers) के चयन मे स्कूल को प्राप्त तीन firms से प्राप्त kotation एवं उनके के सापेक्ष प्राप्त तीनों firms के तुलनात्मक rate स्टेटमेंटस मे क्रय समिति के तीन सदस्यो के हस्ताक्षर दर्ज नहीं पाये गए ।

इस प्रकार संस्था को उक्त धनराशि ₹ 196994.19 पर 2% की दर से र 3940.00 की कटौती की जानी चाहिए थी परंतु कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद बागेश्वर द्वारा उक्त प्रकरण मे आयकर अधिनियम -1961 की धारा -194 सी का उलंघन कर उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती नहीं की थी। इस ओर सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया है कि उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती करके सूचना संप्रेक्षा को भेजी जायगी एवं एवं मॉडल स्कूल द्वारा विभिन्न मदों मे ₹ 11.09 लाख की धनराशि के व्यय के सापेक्ष इकाई द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत भुगतान की गयी धनराशि ₹ 11.09 लाख मे वित्तीय नियमावली एवं प्रॉक्यूरमेंट नियमावली -2008 का अनुपालन नहीं किया गया था। इस ओर सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया कि संप्रेक्षा द्वारा इंगित निर्देशों के अनुसार उक्त कमियों को दूर किया जाएगा। सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि विभाग द्वारा लगभग नियमो से अंजान बनते हुए उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती नहीं की थी एवं प्रॉक्यूरमेंट नियमावली -2008 का अनुपालन नहीं किया था । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हें ।

STAN

प्रस्तर 1: - नई पेंशन योजना के अन्तर्गत नव-नियुक्त कर्मचारियो/ अधिकारियों के वेतन शीट /कोषागार शीट मे कर्मचारियों की एनपीएस नमूना जांच मे नियोक्ता का अंश(state share) की धनराशि जमा न होने एवं 06 कर्मचारियों को PRAN NO आबंटन न होने के सम्बंध मे ।

उत्तराखंड राज्य में दिनांक – 01/10/2005 के पश्चात सेवा मे नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियो हेतु वित्त विभाग की अधि सूचना -21/XXVII(7) अंशदायी पेंशन योजना /2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी थी । इस सम्बंध मे वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -643/XXVII(7) अंशदायी पेंशन योजना /2010 दिनाक 11/08/2010 के प्रस्तर –(2) के प्रविधनानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि कोषागार द्वारा लेखा शीर्षक -0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 00-117-नई पेंशन योजना ,01-कर्मचारी का अंश , 02- नियोक्ता का अंश(state share) के नामे जमा किए जाने की व्यवस्था की गयी थी। इस सम्बंध मे अपर सचिव उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017 दिनांक -06/04/17 मे स्पष्ट किया गया है कि अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा । साथ ही समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप मे 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी ।इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक , कोषागार द्वारा सी0 आर0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा । उक्त प्रकरण मे नई पेंशन योजना के अंतरगत निम्न विवरण के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 मे नव-नियुक्त कर्मचारियो/ अधिकारियों के वेतन शीट /कोषगार शीट की नमूना जांच मे निम्न प्रकार NPS कटौतियों सुनिश्चित की गयी थी , जिसका विवरण निम्नवत हें ।

कार्यालय उप शिक्षा आधिकारी(प्राथमिक शिक्षा) बागेश्वर' मे कार्यरत नव-नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के एनपीएस खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखो की संप्रेक्षा जांच में पाया गया है कि कर्मचारियों के नमूना जांच मे वेतन शीट /कोषागार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) 03/2017 से सम्प्रेक्षा तिथि(01/19) तक का जमा होना नहीं पाया गया था। संप्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया कि संस्था मे तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों/शिक्षण गण मे से कर्मचारियो/ अधिकारिओ/शिक्षण गण की NPS पासबुक एवं लेजर तेयार नहीं किये गए थे तथा उनके NPS पासबुक एवं लेजर मे 10% state share भी दर्ज नहीं किया जा रहा था एवं 06 कर्मचारियों को PRAN NO आबंटन नहीं किया गया था ।

कोषागार बागेश्वर' के E-कोष द्वारा कोषगार शीट मे नियोक्ता का अंश(state share) 03/2017 से नव-नियुक्त कर्मचारियो/अधिकारियों के वेतन शीट /कोषगार शीट मे जमा होना नहीं दिखाया गया था। लगभग 02 वर्ष से इस सम्बंध मे पत्र द्वारा कोई सूचना शासन/निदेशालय को इकाई द्वारा नहीं दी गयी थी। इस सम्बंध मे संप्रेक्षा द्वारा इकाई से पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण मे शासन से कोई दिशा निर्देश प्राप्त न होने के कारण उक्त प्रकरण मे इकाई द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। संप्रेक्षा मे इकाई उत्तर मान्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा उक्त प्रकरण मे संप्रेक्षा तिथि (01/19) तक कोई कार्यवाही नहीं कि थी न ही शासन से उचित दिशा निर्देश प्राप्त करने

हेतु कोई पत्राचार किया था । शासन आदेश मे-06/04/17 मे स्पष्ट है कि प्राविधानुसार उक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिकों व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि का लेखांकन सुसंगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत न किए जाने के सम्बंध मे महालेखाकार उत्तराखंड द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 मे आपत्ति दर्ज की गयी थी । प्रकरण आधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हें ।

STAN

प्रस्तर 2:- इकाई मे कार्यरत कार्मिक श्री सूर्यमणि भद्री मुख्य प्रशासनिक अधिकारी Employee code no -610039002012 को दिनाक 04/04/13 को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर promotion होने पर उक्त cader मे छ माह बिताए बिना ही पुनः दिनाक -01/07/13 को एक वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के संबंध मे ।

कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद –बागेश्वर की माह -06/12 से 01//2019 तक की संप्रेक्षा अवधि मे इकाई में कार्यरत कार्मिक श्री सूर्यमणि बद्री Employee code no -610039002012 की सेवा पुस्तिका की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया कि श्री सूर्यमणि बद्री मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को दिनाक -04/04/13 को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर promotion होने पर उक्त cader मे छः माह बिताए बिना ही पुनः दिनाक -01/07/13 को एक वेतन वृद्धि प्रदान कर दी गयी थी जिससे कर्मचारी का मूल वेतन दिनाक -01/07/13 को मूलवेतन(12510) + ग्रेड पे(4600)=र 17110.00 के स्थान पर मूलवेतन(13030) + ग्रेड पे (4600)=र17630.00 इकाई द्वारा सेवापुस्तिका मे Fixed किया गया था । संप्रेक्षा के अनुसार निम्न तालिका के अनुसार इकाई स्तर से वेतन fixed किया जाना अपेक्षित था ।

क्रमसंख्या	अवधि	मूलवेतन	वेतनवृधि	योग	Gradepay	कुल मूल वेतन
01	13/04/01	12020.00	-	12020.00	4200.00	16220.00
02	13/04/04	12020.00	490.00	12510.00	4600.00	17110.00
03	13/07/01	12510.00	-	12510.00	4600.00	17110.00
04	01/01/14	12510.00	520.00	13030.00	4600.00	17630.00
05	15/01/01	13030.00	530.00	13560.00	4600.00	18160.00

क्र.सं.	अवधि	संप्रेक्षा के अनुसार मूलवेतन	संप्रेक्षा के अनुसार डी0ए0	कुल वेतन	इकाई के अनुसार मूल वेतन	संप्रेक्षा के अनुसार डी0ए0	कुलवेतन	इकाई द्वारा अधिक प्रदान किया गया वेतन
01	13/07/01to 31/12/13	17110.00	15399.00	32509.00	17630.00	15867.00	33497.00	=06*988.00₹ 5928.00
02	14/01/01to 14/06/30	1763000	17630.00	34220.00	17630.00	17630.00	34220.00	Nill
03	14/07/01to 14/12/31	17630.00	18864.00	36494.00	18160.00	19431.00	37591.00	=06*1097.00₹ 6582.00
04	15/01/01to 30/06/15	18160.00	38681.00	37905.00	18160.00	20521.00	38681.00	Nil
05	15/07/01 To 31/12/15	18160.00	21610.00	39770.00	18710.00	22265.00	40975.00	=06*1205.00₹7230.00
कुल योग								₹ 19740.00

इकाई द्वारा कार्मिक श्री सूर्यमणि भद्री Employee code no -610039002012 को दिनाक - 04/04/13 को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर promotion होने पर उक्त cader में छः माह बिताए बिना ही पुनः दिनांक -01/07/13 को एक वेतन वृद्धि प्रदान कर दी गयी थी जिससे कर्मचारी का मूल वेतन दिनाक -01/07/13 को मूलवेतन(12510) + ग्रेड पे(4600)=₹ 17110.00 के स्थान पर मूलवेतन(13030) + ग्रेड पे(4600)=₹17630.00 इकाई द्वारा सेवापुस्तिका मे Fixed किया गया था।

अधिक वेतन fix किए जाने के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा पूछने पर इकाई ने अपने उत्तर मे संप्रेक्षा को अवगत कराया है कि प्रकरण कि जांच करने के उपरांत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण उच्च अधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
यह इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
2. **सतत् अनियमितताएः**- शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया**

क्रं. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री राम संजीवन	उप शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.)	01-06-12 से 22-03-13
2	श्री प्रमोद कुमार तिवारी	उप शिक्षा अधिकारी.प्रा)शि(.	23-03-13 से 18-01-14
3	श्री राम संजीवन	उप शिक्षा अधिकारी.प्रा)शि(.	19-01-14 से 04-12-14
4	श्री प्रमोद कुमार तिवारी	उप शिक्षा अधिकारी.प्रा)शि(.	05-12-14 से 20-01-15
5	श्री वृजेन्द्र जोशी	उप शिक्षा अधिकारी.प्रा)शि(.	21-01-15 से 13-03-15
6	श्रीमती पूनम चौहान	उप शिक्षा अधिकारी.प्रा)शि(.	14-03-15 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी(प्रा. शि.), बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे कार्यालय प्रधान महालेखाकर (ले°प°) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, निकट IHM, कौलागढ़ रोड, देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.